22 DEC 2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी सुजीता पत्नि यशवंत कुमार पचौरी निवासी सदर बाजार वार्ड नंबर 8, मुंगाना जिला प्रतापगढ की और से पुलिस थाना बडीसादडी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 164/2021 दिनांक 09.07.2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 35 GA 1781** को प्रार्थी वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, बडीसादडी से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी द्वारा पत्रांक/...... दिनांक 01.12.2021 से अवगत कराया गया किया कि वाहन संबंधी कोई अनुसंधान शेष नहीं है वाहन को छोड दिया जावें तो कोई आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी राशमी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना

(तारा चन्द मीणा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी राशमी से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना राशमी द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है, चूंकि वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 35 GA 1781** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः आठ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।<br><br>सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official<br>(तारा चन्द मीणा)<br>कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट<br>चित्तौड़गढ़<br>22 DEC 2021 | |